(I) नकद प्रतिफल में अंशों का निर्गमन (Issue of Shares for Consideration of Cash)

(क) जब आवेदन-पत्र के साथ अंशों का सम्पूर्ण मूल्य एक साथ प्राप्त हो (When full amount of shares is received with the application)—

इस स्थिति में विनियोजक द्वारा अपने अंशों का पूरा मूल्य आवेदन-पत्र के साथ ही जमा किया जाता है। प्राय: कम्पनी के प्रवर्तक, उनके रिश्तेदार, मित्र, वित्तीय संस्थाओं, अप्रवासी भारतीयों (NRIS) द्वारा सम्पूर्ण राशि आवेदन पर जमा कर दी जाती है। इस स्थिति में लेखांकन निम्नानुसार होगा :

(1) **अंशों का सममूल्य पर निर्गमन** (Issue of Shares at Par)—अंशों का वास्तविक मूल्य अर्थात् अंकित मूल्य पर निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है।

सममूल्य पर निर्गमन = निर्गमित मूल्य = अंकित मूल्य

जैसे—किसी कम्पनी के साधारण अंशों का अंकित मूल्य प्रति अंश ₹ 100 है तो इन अंशों के सममूल्य पर निर्गमन की दशा में आवेदक को कुल ₹ 100 प्रति अंश ही चुकाने होंगे।

जर्नल प्रविष्टियाँ.

(i) **आवेदन पत्र के साथ सम्पूर्ण राशि नकद प्राप्त होने पर :** Dr.

	ऋणी	
बैंक खाता		Bank A/c
.....अंश आवेदन खाता से		To.....Share Application A/c

(ii) **अंशों के आबण्टन पर, आवेदन की राशि अंश पूँजी खाते में हस्तान्तरित करने पर :** Dr.

	ऋणी	
अंश आवेदन खाता		....Share Application A/c
....अंश पूँजी खाता से		To.....Share Capital A/c

नोट : (i) उक्त जर्नल (पंजी) प्रविष्टियों में समता अंशों के निर्गमन पर 'अंश' शब्द के स्थान पर 'समता अंश' तथा पूर्वाधिकार अथवा अधिमान अंशों के निर्गमन पर 'पूर्वाधिकार या अधिमान अंश' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ii) अंशधारियों का खाता—अंशों का सम्पूर्ण मूल्य एक साथ प्राप्त होने पर 'अंश आवेदन खाता' के स्थान पर 'अंशधारियों का खाता' (Shareholder's Account) भी खोला जा सकता है।

***Illustration* 1**

रायपुर लिमिटेड की ₹ 10,00,000 अधिकृत पूँजी ₹ 10 वाले 1,00,000 समता अंशों में विभक्त है, इन अंशों में से 50,000 समता अंश जनता में निर्गमित किये गये। सम्पूर्ण अभिहित मूल्य आवेदन-पत्र के साथ देय है। जनता द्वारा सभी अंश क्रय कर लिये गये और उन पर सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया।

रायपुर लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए।

The authorised capital of ₹ 10,00,000 of Raipur Limited is divided into 1,00,000 equity shares of ₹ 10 each. Out of these 50,000 equity shares were issued to the public. The full nominal value is payable on application. All the shares have been subscribed by the public and paid for.

Give journal entries in the books of Raipur Ltd.

Solution **In the Books of Raipur Limited**

Journal Entries

Date	*Particulars*	*L.F.*	*Debit Amount*	*Credit Amount*
			₹	₹
Date of receipt	Dr. Bank A/c To Equity Share Application A/c (Being application money received on 50,000 equity shares @ ₹ 10 each)		5,00,000	5,00,000
Date of allotment	Dr. Equity Share Application A/c To Equity Share Capital A/c (Being application money on 50,000 equity shares transferred to Equity Share Capital A/c)		5,00,000	5,00,000

(2) **अंशों का प्रब्याजि पर निर्गमन** (Issue of Shares at Premium)—जब कम्पनी द्वारा अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाये, तो अंकित मूल्य तथा निर्गमित मूल्य की राशि का अन्तर प्रब्याजि या प्रीमियम कहलाता है तथा ऐसा निर्गमन अंशों का प्रब्याजि पर निर्गमन कहलाता है।

प्रब्याजि पर निर्गमन = निर्गमित मूल्य > अंकित मूल्य

जैसे, ₹ 100 मूल्य के अंशों का ₹ 110 में निर्गमन प्रब्याजि पर निर्गमन कहलायेगा तथा अन्तर की राशि ₹ 10 प्रब्याजि या प्रीमियम की राशि होगी।

सामान्यत: विद्यमान कम्पनी जिनकी साख अच्छी हो, अपने अंशों का निर्गमन प्रब्याजि पर करती है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रब्याजि की राशि एक पृथक् 'प्रतिभूति प्रब्याजि खाता' (Securities Premium Account) में दर्शायी जानी चाहिए जिसका उपयोग केवल निम्नांकित कार्यों में किया जा सकता है :

(i) कम्पनी द्वारा अपने सदस्यों को निर्गमित किये जाने वाले बोनस अंशों के भुगतान में।
(ii) कम्पनी के प्रारम्भिक व्ययों को समाप्त करने के लिए।
(iii) कम्पनी के अंशो या ऋणपत्रों के निर्गमन पर किये गये व्ययों, कमीशन, कटौती (बट्टा) को समाप्त करने के लिए।
(iv) कम्पनी के शोधनीय पूर्वाधिकार (विमोचनशील अधिमान) अंशों या ऋणपत्रों के भुगतान पर दिये जाने वाले प्रब्याजि के भुगतान के लिए।
(v) अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अनुसार कम्पनी की सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर निर्धारित सीमा तक अपने स्वयं के अंश या प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए।

जर्नल प्रविष्टियाँ

(i) **आवेदन पत्र के साथ सम्पूर्ण नकद राशि प्राप्त होने पर—**

बैंक खाता	ऋणी	Bank A/c	Dr.
.....अंश ओवदन खाता से		To.....Share Application A/c	

(ii) **अंशों के आबण्टन पर, आवेदन की राशि अंश पूँजी एवं प्रतिभूति प्रब्याजि खाते में अन्तरित करने पर—**

.....अंश आवेदन खाता	ऋणी	.....Share Application A/c	Dr.
.....अंश पूँजी खाता से		To....Share Capital A/c	
प्रतिभूति प्रब्याजि खाता से		To Securities Premium A/c	

नोट—अंश प्रब्याजि खाता नाममात्र खाता है जो क्रेडिट शेष दर्शाता है। इसका उल्लेख चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में अंशधारियों के कोष शीर्षक में संचय एवं अतिरेक उप शीर्षक में होगा।

Illustration 2

समता लिमिटेड ₹ 100 वाले 20,000 समता अंश ₹ 20 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करती है। सम्पूर्ण राशि आवेदन-पत्र के साथ देय है। समस्त अंश जनता द्वारा खरीद लिये गये एवं राशि नकद चुका दी गयी है।

समता लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिये।

Samta Ltd. issued 20,000 equity shares of ₹ 100 each at a premium of ₹ 20. The whole amount payable on application. All the shares were purchased by public and paid for.

Pass necessary journal entries in the books of Samta Ltd.

Solution

In the Books of Samta Ltd.
Journal Entries

Date	*Particulars*	*L.F.*	*Debit Amount*	*Credit Amount*
			₹	₹
Date of receipt	Bank A/c Dr.		24,00,000	
	To Equity Share Application A/c			24,00,000
	(Being application money received on 20,000 equity shares @ ₹ 120 per share)			

Date of allotment	Equity Share Application A/c Dr.		24,00,000	
	To Equity Share Capital A/c			20,00,000
	To Securities Premium A/c			4,00,000
	(Being application money transferred to equity share capital account and securities premium account)			

(3) **अंशों का बट्टे (अपहार) पर निर्गमन** (Issue of Shares at Discount)—अंशों का अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन बट्टा या अपहार पर निर्गमन कहलाता है।

बट्टे पर निर्गमन = निर्गमित मूल्य < अंकित मूल्य

जैसे, ₹ 100 अंकित मूल्य के अंशों का ₹ 95 में निर्गमन, बट्टा या अपहार पर निर्गमन कहलायेगा तथा ₹ 5 की राशि बट्टा या अपहार की राशि होगी।

अंशों के कटौती या बट्टे पर निर्गमन पर प्रतिबन्ध
(PROHIBITION ON ISSUE OF SHARES AT DISCOUNT)

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार—सामान्यत: कम्पनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती। कम्पनी के अंशधारियों को अंशों का पूरा मूल्य नकद अथवा अन्य किसी भी रूप में चुकाना अनिवार्य है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अनुसार—

(i) धारा 54 के प्रावधान के अपवाद के अतिरिक्त, एक कम्पनी अपने अंश बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती;

(ii) एक कम्पनी द्वारा बट्टे पर किया गया अंशों का निर्गमन व्यर्थ या शून्य होगा।

(iii) **अर्थदण्ड**—कम्पनी द्वारा इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कम-से-कम ₹ 1,00,000 लाख का अर्थदण्ड जिसे अधिकतम ₹ 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है तथा प्रत्येक दोषी अधिकारी को एक समय तक कारावास की सजा, जिसे अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा कम-से-कम ₹ 1 लाख का अर्थदण्ड जिसे ₹ 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

स्वअर्जित या स्वैट अंशों का बट्टे पर निर्गमन (Issue of Sweat Shares at Discount)

कम्पनी अपने स्वअर्जित या स्वैट अंशों का बट्टे पर निर्गमन कर सकती है।

स्वैट अंश से आशय—"किसी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऐसे समता अंशों से है, जो कम्पनी द्वारा अपने संचालकों अथवा कर्मचारियों को कटौती पर अथवा रोकड के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के उद्देश्य से निर्गमित किये गये हों।" जैसे तकनीकी जानकारी प्राप्त करने, बौद्धिक सम्पत्ति का अधिकार उपलब्ध कराने बाबत आदि।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 54 के अनुसार, सामान्यत: कम्पनी निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के पश्चात् स्वैट समता अंश बट्टे पर जारी कर सकती है—

(क) कम्पनी ने विशेष प्रस्ताव पारित कर अंशों के निर्गमन का अधिकार प्राप्त कर लिया हो;

(ख) प्रस्ताव में विशेष रूप से अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल (यदि हो तो) तथा निर्गमन प्राप्त करने वाले संचालकों या कर्मचारियों की श्रेणी या श्रेणीयों का स्पष्ट उल्लेख हो;

(ग) कम्पनी को व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हुए एक वर्ष पूरा हो चुका हो;

(घ) यदि कम्पनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि में सूचीबद्ध हो तो SEBI के नियमों के अनुसार तथा सूचीबद्ध न होने पर प्रस्तावित नियमों के अनुसार जारी किया जायेगा।

इस प्रकार नये कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अब जनता को अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता केवल कम्पनी के संचालकों या कर्मचारियों को ही एक मुश्त प्रतिफल में अंश बट्टे पर जारी किये जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी:

जर्नल प्रविष्टियाँ

(i) आवेदन पत्र के साथ सम्पूर्ण नकद राशि प्राप्त होने पर—

बैंक खाता	ऋणी	Bank A/c	Dr.
.....अंश आवेदन खाता (स्वैट) से		To .....Share Application (Sweat) A/c	

(ii) अंशों के आबंटन, आवेदन की राशि अंश पूँजी खाते में अन्तरित करने पर—

अंश आवेदन खाता (स्वैट)	ऋणी	...Share Application(Sweat) A/c	Dr.
अंश निर्गमन पर बट्टा खाता	ऋणी	Discount on Issue of Shares A/c	Dr.
.....अंश पूँजी खाता से		To .....Share Capital A/c	

	10% Preference Share Application A/c	Dr.		50,000	
	To 10% Preference Share Capital A/c				50,000
	(Being application money transferred)				
	Equity Share Application A/c	Dr.		1,00,000	
	To Equity Share Capital A/c				1,00,000
	(Being application money transferred)				
(b)	Bank A/c	Dr.		1,65,000	
	To 10% Preference Share Application A/c				55,000
	To Equity Share Application A/c				1,10,000
	(Being application money received)				
	10% Preference Share Application A/c	Dr.		55,000	
	To 10% Preference Share Capital A/c				50,000
	To Securities Premium A/c				5,000
	(Being application money transferred)				
	Equity Share Application A/c	Dr.		1,10,000	
	To Equity Share Capital A/c				1,00,000
	To Securities Premium A/c				10,000
	(Being application money transferred)				

(ख) जब अंशों की राशि किस्तों में प्राप्त हो (When Share Price is Received in Instalments)—

किस्तों में प्राप्त नकद राशि मुख्यत: तीन भागों में विभक्त की जा सकती है—(1) आवेदन राशि, (2) आवण्टन राशि, (3) याचना अथवा माँग राशि।

(1) **आवेदन राशि** (Application Money)—कम्पनी द्वारा प्रविवरण के आधार पर आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। इन आवेदन-पत्रों के साथ देय निश्चित राशि आवेदन राशि कहलाती है। यह अंशों के अंकित मूल्य के 5% से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) **आवण्टन राशि** (Allotment Money)—संचालक मण्डल द्वारा अंश आवेदकों को निश्चित संख्या में अंशों का वितरण 'आवण्टन' कहलाता है। आवण्टन की सूचना के साथ माँगी गयी राशि आवण्टन राशि कहलाती है।

आवण्टन राशि की माँग करते समय संचालकों को निम्न तीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है :

(क) निर्गमित अंश संख्या के बराबर आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर।

(ख) निर्गमित अंश संख्या से कम आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर।

(ग) निर्गमित अंश संख्या से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर।

(क) **निर्गमित अंश संख्या के बराबर आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर**—सामान्यत: ऐसी स्थिति में संचालक-मण्डल द्वारा समस्त अंश आवेदन-पत्र स्वीकार कर उन्हें अंश आबण्टित कर दिये जाते हैं।

(ख) **निर्गमित अंश संख्या से कम आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर**—यह स्थिति न्यून-अभिदान की स्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति में भी समस्त आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिये जाते हैं तथा न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त होने पर उन अंशों का आवण्टन कर दिया जाता है।

(ग) **निर्गमित अंश संख्या से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर**—यह स्थिति अधि-अभिदान की स्थिति कहलाती है। इसमें संचालक केवल उतने ही अंशों का आवण्टन करते हैं जितने अंश निर्गमित किये गये थे। इस परिस्थिति में निम्न तीन रीतियों में से कोई भी रीति अपनाई जा सकती है :

(i) **आनुपातिक आबण्टन**—इसमें सभी आवेदकों को निर्गमित अंशों की संख्या के अनुपात में अंशों का आबण्टन कर दिया जाता है।

जैसे, कम्पनी द्वारा निर्गमित 2,000 अंशों पर 3,000 अंशों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर 3,000 : 2,000, अर्थात् 3 : 2 में आबण्टन।

ऐसी स्थिति में आवेदन की अतिरिक्त राशि लौटाई नहीं जाती बल्कि उसका समायोजन आबण्टित अंशों पर देय राशि में कर लिया जाता है।

(ii) **इच्छानुसार आबण्टन**—इस स्थिति में कुछ आवेदन-पत्र पूर्णत: स्वीकार कर लिये जाते हैं तथा कुछ आवेदन-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर लिये जाते हैं, शेष आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी आवेदन राशि लौटा दी जाती है।

(iii) **मिश्रित रीति से आबण्टन**—इस रीति में आनुपातिक आबण्टन तथा इच्छानुसार आबण्टन दोनों का प्रयोग किया जाता है।